रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ ज्येष्ठ 15, 1939

No. 455] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/ JYAISTHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

सा.का.नि. 554(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए और नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 31क के उप-नियम (3क) में "अंकीय हस्ताक्षरों के अधीन" शब्दों के पश्चात् "इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित या" अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल नियमों के प्ररुप संख्या 26ख में, प्ररुप के अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पणियां:- अधिनियम की धारा 194 झक के अधीन कटौती किए गए कर से सम्बन्धित प्रतिदाय के मामले में, जिसके लिए प्ररुप संख्या थख कटौतीकर्ता द्वारा भरा गया है,-

(क) कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या के स्थान में स्थायी लेखा संख्या प्रस्तुत किया जाए;

(ख) "अवधि" से सम्बन्धित उप-स्तम्भ (5) के स्तम्भ II में, रिक्त छोड़ा जाए;

(ग) "सुंगत कथन की प्राप्ति संख्या" से सम्बन्धित उप-स्तम्भ (7) के स्तम्भ II में, प्ररुप संख्या थख की प्रस्तुत अभिस्वीकृति।"

[अधिसूचना संख्या. 45/2017/फा. सं. 370142/39/2016/टी.पी.एल]

पितांबर दास, (निदेशक टीपीएल)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. **सा.का.नि.** 546(अ), तारीख 2 जून , 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

G.S.R. 554(E).—In exercise of powers conferred by section 295 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Act'), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Income Tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 31A, in sub-rule (3A), after the words "under digital signature", the words "or verified through an electronic process" shall be inserted.

3. In the principal rules, in Form No. 26B, at the end of the form, the following shall be inserted, namely:-

"Notes: In case of refund related to tax deducted under section 194-IA of the Act for which Form No. 26QB has been filed by the deductor,-

(a) Permanent Account Number may be furnished in place of Tax Deduction and Collection Account Number;

(b) in column II, in sub-column (5) relating to the 'period', may be left blank;

(c) in column II, in sub-column (7) relating to the 'Receipt number of relevant statement', furnish acknowledgement number of Form No. 26QB."

[Notification No. 45/2017/F. No. 370142/39/2016-TPL]

PITAMBAR DAS, Director TPL

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification numbe S.O. 962(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number G.S.R. 546(E) dated the 2nd June, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.06 22:28:40 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.